भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या – 1217
दिनांक 06.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

नकली आव्रजन एजेंटों का विनियमन

1217. श्री पुट्टा महेश कुमार

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश सहित देश भर में फर्जी अप्रवासन अभिकर्ताओं और धोखाधड़ी करने वाले विदेशी नौकरी/वीजा परामर्शदाताओं द्वारा भारतीय नागरिकों को धोखा देने की बढ़ती घटनाओं की जानकारी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान ऐसे एजेंटों के विरुद्ध राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और कितने मामले दर्ज किए गए हैं।
(ग) राज्य पुलिस और अन्य एजेंसियों के समन्वय से उत्प्रवास अधिनियम के अंतर्गत की गई-कार्रवाई सहित अनधिकृत एजेंटों की पहचान करने, काली सूची में डालने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
घ) क्या सरकार ने उत्प्रवासी कामगारों की सुरक्षा के लिए जन जागरूकता, शिकायत निवारण और रोकथाम तंत्र को सुद्दढ़ करने के लिए कोई कदम उठाए हैं. यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क से घ) सरकार को ऐसे मामलों की जानकारी मिली है जिनमें फर्जी भर्ती प्रस्तावों में शामिल संदिग्ध संस्थाओं ने भारतीय नागरिकों, जिनमें युवा भी शामिल हैं, को मुख्यतः सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से विभिन्न देशों में रोजगार के लिए लुभाया है। मंत्रालय को देश में अवैध/बेईमान भर्ती एजेंटों की ऐसी धोखाधड़ी वाली गतिविधियों की जानकारी तब मिलती है जब पीड़ित प्रवासी या उनके रिश्तेदार/मित्र/परिवार के सदस्य शिकायत दर्ज कराते हैं, जिन्हें उनके नियोक्ताओं द्वारा धोखा दिया गया है क्योंकि ये भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से धोखाधड़ी करने वाले/बेईमान भर्ती एजेंटों और अवैध चैनलों के माध्यम से विदेश जाते हैं।

उतप्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 10 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति/एजेंसी पंजीकृत प्राधिकारी, अर्थात् प्रवासी महासंरक्षक(पीजीई) द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) के बिना भर्ती एजेंट (आरए) के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। आंध्र प्रदेश सहित अवैध प्रवासन/मानव तस्करी की शिकायतें प्राप्त होने पर, ऐसे मामलों को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और अन्य लागू कानूनों के प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत जांच और अभियोजन के लिए राज्य पुलिस को भेजा जाता है। साइबर क्षेत्र में भी, गृह मंत्रालय और राज्य पुलिस अधिकारियों के सहयोग से अवैध भर्ती एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। आंध्र प्रदेश सहित पूरे भारत से अवैध भर्ती एजेंसियों के सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के अनुरोध गृह मंत्रालय को नियमित रूप से भेजे जाते रहे हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त अवैध प्रवासन संबंधी शिकायतों की संख्या और उन पर की गई कार्रवाई से संबंधित आंकड़े अनुबंध - क में दिए गए हैं।

मंत्रालय फर्जी नौकरी के रैकेट के खतरों और उनसे बचाव के तरीकों के बारे में ई-माइग्रेट पोर्टल, सोशल मीडिया और प्रचार के अन्य माध्यमों से सलाह जारी करता है। दिसंबर 2025 तक, 3,505 अपंजीकृत एजेंटों की एक सूची, जिनके खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, भावी प्रवासियों को सतर्क करने के लिए ई-माइग्रेट पोर्टल पर प्रकाशित की गई है। मंत्रालय द्वारा ई-माइग्रेट पोर्टल के माध्यम से सुरक्षित और कानूनी प्रवास के बारे में जागरूकता, अभियान देश भर में कार्यशालाओ, प्रशिक्षणों, सूचना सत्रों और मीडिया समूहों, पुलिस अधिकारियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों, स्थानीय प्रशासन, इच्छुक भर्ती एजेंटों, उद्यमियों और आम जनता के लिए डिजिटल अभियानों के माध्यम से चलाया गया है। इन सत्रों के दौरान, प्रवास विनियमों, प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई), प्रस्थान-पूर्व अभिविन्यास प्रशिक्षण (पीडीओटी) जैसी प्रवासियों के लिए लाभकारी योजनाओं, ई-माइग्रेट पोर्टल और भारतीय दूतावासों द्वारा जारी विभिन्न सलाहों के बारे में सभी हितधारकों को जागरूक किया जाता है।

मंत्रालय अवैध भर्ती एजेंसियों से संबंधित मुद्दों और प्रवासन नियमों एवं विनियमों के प्रवर्तन से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए राज्य सरकारों के साथ नियमित रूप से समन्वय करता है। राज्य सरकारों के सहयोग से समय-समय पर विदेश संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया जाता हैं। मंत्रालय सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के लाभों के बारे में विभिन्न हितधारकों को जागरूक करने और फर्जी/अपंजीकृत भर्ती एजेंसियों के माध्यम से अवैध प्रवासन को रोकने के उपाय सुझाने के लिए नियमित रूप से ऐसे जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। अपंजीकृत भर्ती एजेंसियों के बारे में नियमित रूप से जानकारी साझा करने के अतिरिक्त, राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त , मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए कार्यशालाएं और प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाते हैं, जिनमें मंत्रालय की मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी), सोशल मीडिया पर गैरकानूनी सामग्री का पता लगाने और साइबर धोखाधड़ी के मामलों के अध्ययन के बारे में जानकारी प्रतिभागियों के साथ साझा की जाती है।

अनुबंध क

अवैध प्रवासन संबंधी शिकायतों और अनुवर्ती कार्रवाई से संबंधित आंकड़े [2023 – 2025]

क्रमांक	संघ राज्य क्षेत्र	शिकायतों की संख्या			प्रस्तुत की हुई एटीआर /राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस द्वारा /दर्ज की गई एफआईआर			उन मामलों की संख्या जिन मामलों में जांच के बाद अभियोजन स्वीकृति जारी करने का अनुरोध प्राप्त हुआ।			जारी किए गए अभियोजन संबंधी स्वीकृति की संख्या	
		2023	**2024**	**2025**	**2023**	**2024**	**2025**	**2023**	**2024**	**2025**	**2023**	**2024**
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	445	602	448	5	11	19	1	0	0	1	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	असम	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	बिहार	6	5	1	1	1	1	0	0	0	0	0
6.	चंडीगढ़	3	9	80	0	0	37	0	0	0	0	0

7.	छत्तीसगढ	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	दिल्ली	4	92	153	0	0	34	0	11	09	0	11
10.	गोवा	5	1	13	0	1	0	0	0	0	0	0
11	गुजरात	2	9	12	1	1	0	0	0	0	0	0
12.	हरियाणा	4	2	33	0	0	15	0	1	0	0	1
13.	हिमाचल प्रदेश	4	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0
14.	जम्मू एवं कश्मीर	1	0	4	0	0	0	1	0	0	1	0
15.	झारखंड	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	कर्नाटक	32	33	61	6	8	0	3	0	0	3	0
17.	केरल	110	277	238	87	197	158	7	1	0	7	1

18.	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	महाराष्ट्र	6	14	22	1	1	1	0	1	0	0	1
22.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	मिजोरम	2	0	4	1	0	3	0	0	1	0	0
25.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	ओडिशा	0	5	7	0	2	1	0	0	0	0	0
27.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	पंजाब	56	18	80	0	38	69	0	0	0	0	0
29.	राजस्थान	35	87	97	0	0	4	2	0	0	2	0

30.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	तमिलनाडु	152	106	99	7	64	52	1	0	0	1	0
32.	तेलंगाना	132	96	111	35	17	47	0	0	0	0	0
33.	त्रिपुरा	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	उत्तराखंड	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	उत्तर प्रदेश	0	6	31	0	0	11	0	0	0	0	0
36.	पश्चिम बंगाल	5	10	35	2	2	12	0	0	2	0	1
	कुल	**1,006**	**1378**	**1541**	**147**	**343**	**465**	**15**	**14**	**12**	**15**	**14**

*****